गोविभा

गोविज्ञान भारती का
संदेशवाहक मासिक

वर्ष : 13 ● अंक : 7 | सम्पादक : नरेन्द्र दुबे, डॉ. पुष्पेन्द्र दुबे 20 अक्टूबर, 2015

भविष्य का आकलन

– महात्मा गाँधी

■ हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि अगर कोई हमसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखता है, तो हमें तुरंत उसके बारे में गलतफहमी हो जाती है और हम उसके हृदय में घुसने और प्रश्न को उसके दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसकी भर्त्सना और निंदा करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि दरारें और भी गहरी हो जाती हैं, वैरभाव बढ़ जाता है और व्यक्तियों के संघर्ष में सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और राष्ट्रीय एकता के बजाय वादों और गुटों की अराजकता खड़ी हो जाती है। मुझे भय है कि समाजवादी मित्रों ने समाजवाद का 'क, ख ,ग' भी नहीं समझा है। वे क्यों नही समझ पाते कि जब तक हम सम्प्रदायवाद के राक्षसी पंजे में फंसे हुए हैं तब तक यहां समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता?

■ 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके एक बूढ़े के ये शब्द आप लिख लेना, ''भविष्य में लोग इस आधार पर हमारा मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हम किस सिद्धांतवाद का दावा करते है या कौनसा लेबल धारण करते हैं या कौनसे नारे लगाते हैं, हमारा मूल्यांकन वे हमारे कार्य से करेंगे, हमारे उद्यम से, त्याग से, ईमानदारी से और चरित्र की शुद्धता से करेंगे। वे यह जानना चाहेंगे कि हमने वास्तव में उनके लिये क्या किया है। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप लोगों के मौजूदा दु:ख और असंतोष का लाभ उठाकर उसे दलीय स्वार्थो के लिए बढ़ाएंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, तो यह दु:ख और असंतोष पलट कर आपके ही सिर पर पड़ेगा और जनता के इस विश्वासघात के लिए ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा।''...

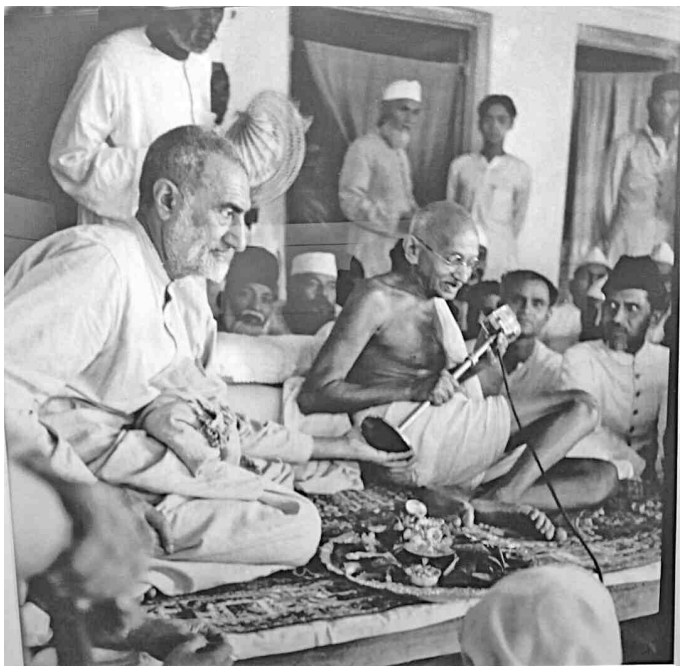

■ साधु के सबसे स्वाभाविक और शोभनीय गुण अहिंसा की साधना उन्हें करनी चाहिए। साधु रोटी के लिए श्रम करने की आदत डालें। जो लोग धर्म के प्रचारक होने का दावा करते हैं, वे दूसरों की सेवा के लिए शरीर–श्रम का जीवन नहीं अपनायेंगे, तो लोगों को ईश्वर की ओर न ले जाकर वे समाज का पतन ही करेंगे। जो लोग दूसरों की पसीने की कमाई पर निश्चिन्त होकर जीवन बिताते हैं, वे आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं कर सकते। आज तो धर्म जड़वत् बन गया है।...सभी धर्म–सम्प्रदायों में आज जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है और हमारे समाज का जो मानसिक, शारीरिक और नैतिक पतन हो रहा है, उसका कारण यह है कि हमने शरीर–श्रम को हेय समझा है।...इसलिए धार्मिकों को ऐसा कार्यक्रम बना लेना चाहिए, जो आपको रामनाम के ज्ञान का प्रचार करने के अलावा, स्वयं शरीर–श्रम करके और आम लोगों से ऐसा श्रम करवाकर समाज की सेवा करने की क्षमता प्रदान करे।''

–महात्मा गांधी पूर्णाहुति तृतीय खण्ड

सम्पादकीय

गोरक्षा का वीभत्स पहलू

विगत दिनों उत्तरप्रदेश के दादरी में गोरक्षा का वीभत्स चेहरा सामने आया। गोरक्षा का प्रश्न हमेशा से अत्यंत संवेदनशील रहा है। आज इसे जिस ढंग से हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसने हमारे मनुष्य होने पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। दादरी में कुछ शरारती तत्वों ने मोहम्मद अखलाक के घर में गोमांस होने की अफवाह फेलायी। उसके घर के आसपास भीड़ एकत्र हो गयी। कुछ लोगों ने मिलकर मोहम्मद अखलाक को पीट–पीट कर मार डाला और उसके लड़के को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हम आज भी उन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए हैं जो कभी अठारहवीं सदी के प्रश्न हुआ करते थे। अंग्रेजों ने बहुत सोच–समझकर हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए गाय और सूअर का समय–समय पर इस्तेमाल किया और सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

महात्मा गांधी को गोरक्षा पर यह कहना पड़ा था कि यह प्रश्न भारत की आजादी से भी कठिन है। यह कथन आज सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक स्वार्थो के चलते संगठन और दलों ने गोरक्षा के प्रश्न को दो धर्मो के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सोची समझी साजिश के तहत पिछले सौ सालों से यह दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है कि गोहत्या के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। इसकी ओट में अनेक राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं। धर्म की दुकानें संचालित की जा रही हैं। संत विनोबा के पांच दिन के उपवास के बाद देश के चौदह राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें केरल और बंगाल छूट गए थे। इसके बाद पूर्ण गौवंश हत्याबंदी की मांग को लेकर विनोबा ने मुम्बई के देवनार कतलखाने के समक्ष दो मांगों को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ करने का आदेश दिया रू इस देश में किसी भी उम्र के गौवंश की कतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाये, 2 इस देश से मांस निर्यात बंद हो। देवनार कत्लखाने पर तैतीस सालों तक सत्याग्रह चलता रहा। इस बीच अनेक सरकारें आई–गई। लेकिन कानून नहीं बना। विगत दिनों महाराष्ट्र सरकार ने गौवंश हत्याबंदी कानून बनाया, तब इस सत्याग्रह का समापन किया गया। एक तरह से इस सत्याग्रह ने गोरक्षा को राजनीति, सांप्रदायिकता और हिंसा से बचा रखा था। जब तक यह सत्याग्रह चलता रहा, देश में दादरी जैसी घटना दिखाई नहीं दी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी पिंक रिवोल्यूशन की चर्चा कर इसे केंद्र में लाए। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मांस निर्यात में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हो गई। मुस्लिम मिरर के अनुसार देश की छः प्रमुख मांस निर्यातक कंपनियों में से चार हिंदुओं की हैं। मांस निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ब्राजील है।

वास्तव में मोहम्मद अखलाक पर हमला हिंदू कुंठा का विस्फोट है। केंद्र में सरकार बदलने के बाद भी देश की नीतियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। गोहत्याबंदी को लेकर पहले की सरकारें पूर्ण बहुमत न होने का बहाना बनाती रही हैं। अब तो वह बहाना भी नहीं है। दादरी जैसी घटना को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अविलंब गोहत्याबंदी के प्रश्न को समवर्ती सूची में लेकर पूरे देश में केंद्रीय कानून से गौवंश हत्याबंदी लागू करना चाहिए और इस देश से मांस निर्यात बंद हो। यह भारतीय संस्कृति का आदेश है, यह संविधान का निर्देश है, संसद को दिया हुआ वचन है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव और खेती की रक्षा के लिए गोरक्षा जरूरी है।

– डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

इस अंक में ...

- दुधारी तलवार है गोरक्षा आंदोलन
- एक आदर्श गाँव
- एमआरएससी में रासेयो स्थापना दिवस
- प्रेरक कहानियाँ
- गोहत्या और गोमांस बिक्री पर रोक लगाने पर विचार करे केन्द्र : कोर्ट

दुधारी तलवार है गोरक्षा आंदोलन

– अरुण कुमार त्रिपाठी

गोरक्षा आंदोलन तमाम अंतर्विरोधों से घिरा एक विचित्र आंदोलन है। सनातन धर्म के मूल्यों को बचाने का दावा करने वाला यह आंदोलन आर्य समाज के प्रभाव में जोर पकड़ता है। धार्मिक दिखने वाला यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक ताकत पैदा करता है। राजनीतिक मकसद हासिल करने के साथ यह आर्थिक हितों(खेती) की रक्षा का दावा भी करता है। मुसलमानों के विरुद्ध केंद्रित दिखने वाला यह आंदोलन उससे ज्यादा अंग्रेजों के विरुद्ध रहा है। इस दौरान इसके प्रभाव में अगर हिंदू मुस्लिम दंगे घटित होते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता भी कायम होती है। जब हिंदू मुस्लिम एकता कायम होती है तो वह अपने ही धर्म की परिधि पर खड़े दलितों के खिलाफ हो जाता है। इसलिए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के प्रभाव में जोर पकड़ने वाला गोरक्षा आंदोलन सारी उथल पुथल के बाद अगर एक संतुलित राह पाता है तो वह महात्मा गांधी के अहिंसक नजरिए में। वरना गोवध के विरुद्ध यानी हिंसा के विरुद्ध खड़ा आंदोलन अपने को हिंसा में ही झोंक देता है।

उन्नीसवीं सदी में 1880 से 1894 तक उत्तर भारत में जोर पकड़ने वाले गोरक्षा आंदोलन को सबसे ज्यादा ताकत मिली आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद से। उनका सत्यार्थ प्रकाश 1882 में प्रकाशित होता है और इसी साल वे गोरक्षिणी सभा का गठन करते हैं। हालांकि वे गोरक्षा के मुद्दे पर अंग्रेजों की आलोचना 1866 से ही कर रहे थे। इस बीच उन्होंने गौ करुणानिधि' नाम से एक परचा भी लिखा जिसके पहले हिस्से में गाय की प्रशंसा और गोकशी के विरुद्ध तमाम दलीलें दी गई थीं। जबकि दूसरे हिस्से में गो अधिकारिणी सभाओं यानी गोरक्षिणी सभाओं के गठन के नियम और कानून दिए गए हैं। यहां यह जानना दिलचस्प है कि 1860 के आसपास ही ब्रिटिश और यूरोपीय विद्वानों ने वेदों का नए सिरे से अध्ययन शुरू किया था। इन अध्ययनों में यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि वैदिक ऋषियों में गाय और बैलों का मांस खाने का चलन था। यानी गाय की संतति उस तरह से पूज्य नहीं थी जैसी उन्नीसवीं सदी में हो गई है। प्रोफेसर डीएन झा और उनके सदृश अन्य इतिहासकार बाजश्रवा और नचिकेता, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य के हवाले से यही साबित करते हैं कि वैदिक युग में गाय और उसकी संतति का प्रयोग मांसाहार के रूप में होता था। इससे मिलती– जुलती बात विष्णु–पुराण में भी वर्णित है जहां पर कहा गया है कि पितृ पक्ष में विभिन्न प्रकार के जानवरों का मांस खाने से पितृ संतुष्ट होते हैं। हालांकि उसी उद्धरण के नीचे पाद टिप्पणी के रूप में मनु–स्मृति का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि यह श्लोक का शाब्दिक अर्थ है और वास्तव में पितृ तो शाकाहारी भोजन से ही संतुष्ट होते हैं।

यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इस धारणा का खंडन किया है कि गोमेध, नरमेध और अश्वमेध का मतलब इन जीवों की हत्या करके यज्ञ करने से है। स्वामी जी कहते हैं, यज्ञ में मांस खाने में दिक्कत नहीं है ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और मेरे कुटुम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिंता है? ऐसे–ऐसे बचन भी ऋषियों के ग्रंथ में डाल के कितने ही ऋषियों मुनियों के नाम से ग्रंथ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम यज्ञ भी कराने लगे थे। अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यज्ञमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निश्चय तो यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक ठाक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते?''

वे शतपथ ब्राह्मण में दिए गए शब्दों का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि घोड़े, गाय आदि पशु और मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा। केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है। जो लिखा है उसका अर्थ इस प्रकार समझाते हैं वे. राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देनेहारा और यजमान व्दारा अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहलाता है।''

यहां यह जानना दिलचस्प है कि अंग्रेज इतिहासकार जब यह साबित करने में लगे थे कि वैदिक युग में ब्राह्मण गोमांस खाते थे, वहीं दयानंद सरस्वती उसे गलत साबित करने में लगे थे। दोनों वैदिक साहित्य की ही अपने ढंग से व्याख्या कर रहे थे। संयोग से वह समय भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के ठीक बाद का है। उस संग्राम में सैनिकों के बगावत की एक महत्त्वपूर्ण वजह कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लगा होना होता था।

यहां यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि गोरक्षिणी सभाओं का सदस्य किसी भी समुदाय या समूह का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा उनका कहना था कि जो भी

समुदाय इसका सदस्य बने उसका प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी में होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने गोकशी के विरुद्ध एक लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करके उसे महारानी विक्टोरिया और भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को पेश करने का फैसला किया। इस दौरान 40,000 हस्ताक्षर मेवाड़ और 60,000 हस्ताक्षर पटियाला से इकट्ठा किए गए बताए जाते हैं।

एक तरफ इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ इसमें मुस्लिम और पारसी, हिंदुओं का साथ देने के लिए भी खड़े हो रहे थे। गोरक्षा सभाएं मुगल शासकों का हवाला देकर कह रही थीं कि उन्होंने गोकशी पर पाबंदी लगाई थी, इसलिए अंग्रेजों को लगानी चाहिए। जबकि मुस्लिम आबादी बकरीद के मौके पर शासन से गोकशी की परमिट मांगते थे। पंजाब के कूका (नामधारी सिख) आंदोलन ने अंग्रेजों की गोकशी के विरुद्ध हिंदू और सिखों को एकजुट किया। कूका या नामधारी सिखों ने 1860 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सनातनी हिंदुओं की तरह गोरक्षा उनका प्रमुख मुद्दा था। उनका मानना था कि जो शासक गोहत्या की इजाजत देता है उसे शासन करने का हक नहीं है। कूका ने 1869 में पंजाब के फिरोजपुर में सिख राज की घोषणा कर दी। इस पंथ की स्थापना रावलपिंडी के हजारो के बालक सिंह नाम के एक सेठ ने की थी। उनका इरादा ब्राह्मणों के समांतर अपनी सत्ता स्थापित करना था। बालक सिंह के निधन के बाद उनके शिष्य राम सिंह ने इस काम को आगे बढ़ाया। कूका राम सिंह लुधियाना के भैनी के एक बढ़ई थे। कूका का अर्थ होता है चीखने वाले। वे शुद्धतावादी खालसा राज की स्थापना चाहते थे और सिर्फ गोविंद सिंह को गुरु मानते थे। वे दरबार साहिब के अलावा किसी और मंदिर, मस्जिद या मकबरे में यकीन नहीं करते थे। वे दिलीप सिंह की वापसी की उम्मीद लगाए हुए थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध जो गीत गाते थे वह इस प्रकार हैः–

लंदन से म्लेच्छ चढ़ आए. इनहान ने घर–घर बूचड़ खाने पाए. गुरन दे इनहान घाट हारी. सनम हुन सिर देने आए।(लंदन से गंदे लोग आ गए हैं और उन्होंने हर जगह बूचड़खाने कायम किए। उन्होंने हमारे गुरुओं को मारा और अब हमें अपना बलिदान देना चाहिए।)

लेकिन विडंबना यह थी कि 1872 में कूकाओं ने अमृतसर में कुछ मुस्लिम कसाइयों को मार डाला और बदले में अंग्रेजों ने 63 कूकाओं को तोप से उड़ा दिया।

इस बीच लाहौर के अखबार आफताब–ए–पंजाब' ने 6 सितंबर 1886 के अंक में लिखा कि ईद के मौके पर गोकशी के कारण हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद होते हैं। अखबार ने मुसलमानों को सलाह दी कि वे गोकशी बंद करें, क्योंकि इस्लाम कहीं विशेष तौर पर गोकशी की सलाह नहीं देता। सियालकोट के अखबार वशीर–उल–मुल्क' ने 12 अक्तूबर 1886 को झगड़ों का जिक्र किया और मुसलमानों से गोकशी रोकने की अपील की। लाहौर के कोह–ए–नूर' ने लिखा कि हिंदुओं में गलतफहमी है कि गोकशी के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। बल्कि इसके लिए गोमांस खाने वाले यूरोपीय जिम्मेदार हैं और अगर वे न कहें तो ऐसा नहीं होगा।

इस बीच बांबे की गोरक्षा मंडली का समर्थन करने में जाने माने पारसी व्यवसायी दिनशा पेटिट आगे आए और खोजा मुस्लिमों ने भी इस मंडली का समर्थन किया। उड़ीसा के एक मुस्लिम कवि सद्दा ने गोरक्षा के समर्थन में गीत लिखे। यह आंदोलन पंजाब से होते हुए उत्तरपश्चिमी प्रांत, बिहार तक फैला। लेकिन 1893 के मऊ के दंगे में दोनों समुदायों के 250 लोग मारे गए। मौका ईद का था। दरअसल विवाद तब हुआ जब मजिस्ट्रेट ने कुरबानी के लिए इजाजत देने वाले आदेश की चालाकी' से व्याख्या की। पहले इस आदेश की व्याख्या हिंदुओं के लिहाज से होती थी लेकिन उस साल मुस्लिमों के लिहाज से की गई, ऐसा कहा गया। देश भर के अखबारों में आजमगढ़ के दंगों की खबर छपी और कुछ अखबारों ने लिखा कि यह अंग्रेज प्रशासन की बांटो और राज करो नीति का परिणाम है। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट यूरोपीय यानी गोमांस खाने वाला था इसलिए उसने मुसलमानों के गोकशी के लिए उकसाया।

इस घटना के बाद महारानी विक्टोरिया की तरफ से आठ दिसंबर 1893 को वायसराय लार्ड लैंसडाउन को लिखे पत्र में कहा गया, हालांकि महारानी ने गाय–हत्या (विरोधी) आंदोलन पर वायसराय के भाषण की काफी तारीफ की। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि वे हमारे लिए ज्यादा वफादार हैं। हालांकि मुसलमानों की गोकशी को आंदोलन का बहाना बनाया जाता है लेकिन यह आंदोलन हम लोगों के विरुद्ध है, क्योंकि हम अपनी सेना के लिए मुसलमानों से ज्यादा गोकशी करते हैं।''

वायसराय लार्ड लैंसडाउन ने इस आंदोलन के बारे में लिखा था कि उन्होंने इस आंदोलन के दमन के लिए ज्यादा हिंसक रुख इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि बगावत के बाद यह पहला आंदोलन है जिसके पास भारत सरकार को सर्वाधिक परेशान करने की ताकत है। इस आंदोलन को जन समर्थन है और इसका स्वरूप आयरलैंड के आंदोलन से मिलता है। जहां होम रूल आंदोलन महज राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की बात करता है, वहीं यह आंदोलन ज्यादा

परेशान करने वाली मांगें रखता है। इसकी मांगें कांग्रेस के आंदोलन में गूंज रही हैं और इसने शिक्षित हिंदुओं और अशिक्षित जनता को जोड़ दिया है।

उन्नीसवीं सदी का गोरक्षा आंदोलन धीरे–धीरे शांत हो गया और इसे अंग्रेजों ने अपनी किस्मत' कहा लेकिन उसका असर बीसवीं सदी के आरंभ और आजाद भारत में भी रहा और उस बारे में गांधी ने 1909 में जो संतुलित दृष्टि पेश की वह आज भी महत्त्वपूर्ण है। हिंद स्वराज' नाम की अपनी विशिष्ट पुस्तक में गांधी ने गोरक्षा के बारे में अपने विचार पेश करते हुए कहा, मैं खुद गाय को पूजता हूं यानी मान देता हूं। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का, जो खेती प्रधान देश है, आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी है। यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं वैसे मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के आगे हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए, न कि मुसलमान की जान लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है और यही मैं मानता हूं।''

गांधी यहीं नहीं रुकते। वे हिंदू और मुस्लिम संबंधों के बारे में अहिंसक तरीका इस प्रकार सुझाते हैं। वे कहते हैं, हां और नहीं के बीच हमेशा बैर रहता है। अगर मैं वाद– विवाद करूंगा तो मुसलमान भी वाद– विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूंगा तो वह भी टेढ़ा बनेगा। अगर मैं बालिस्त भर नमूंगा, तो वह हाथ भर नमेगा और अगर नहीं भी नमेगा तो मेरा नमना गलत नहीं कहा जाएगा। जब हमने जिद की तो गोकशी बढ़ी। मेरी राय है कि गोरक्षा प्रचारिणी सभा गोवध प्रचारिणी सभा मानी जानी चाहिए। ऐसी सभा का होना मेरे लिए बदनामी की बात है। जब गाय की रक्षा करना हम भूल गए तब ऐसी सभा की जरूरत हमें पड़ी होगी। मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो मैं उसके साथ कैसा बरताव करूंगा? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पड़ना चाहिए, तो मुझे मुसलमान भाई के पांव भी पड़ना चाहिए।

अंत में हिंदू अहिंसक और मुसलमान हिंसक है, यह बात अगर सही हो तो अहिंसक का धर्म क्या है? अहिंसक को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अहिंसक के लिए तो राह सीधी है। उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। उसे तो मात्र चरण वंदना करनी चाहिए, सिर्फ समझाने का काम करना चाहिए। इसी में उसका पुरुषार्थ है।'' गांधी की सहिष्णुता की यह भावना व्यावहारिक रूप में 1919 के करीब खिलाफत आंदोलन में दिखाई पड़ती है। गांधी लखनऊ के बारी बंधुओं और रामपुर के अली बंधुओं से मिलते हैं। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होती है। इसके तहत मस्जिदों से एलान किया जाता है कि मुसलमान हिंदू भावनाओं का खयाल रखते हुए गोहत्या नहीं करेंगे और हिंदू मंदिरों से एलान हुआ कि हिंदुओं के धार्मिक जुलूस मस्जिदों के सामने से शोर शराबे के साथ नहीं निकलेंगे। यह गांधी के आंदोलन की संचालन शक्ति थी और असहयोग आंदोलन की रीढ़ थी।

इसलिए गोरक्षा आंदोलन जिसमें गाय की रक्षा के साथ इनसानियत और देश की रक्षा भी शामिल हो, उसे चलाना न तो आसान है और न ही नासमझ लोगों के बस की बात है। गांधी जी की यह समझ सभी में ला पाना कठिन है लेकिन इसे मानक मानकर समाज, उसके संगठन और उसकी बुनियादी इकाई यानी व्यक्ति इस दिशा में प्रयास तो कर ही सकते हैं। यही सच्चा लोकतांत्रिक धर्म है और यही हमारी सभ्यता के विविधता, सहिष्णुता और बहुलता जैसे वे बुनियादी मूल्य हैं जिसकी याद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने दिलाई है।

जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें मांसाहार ही करने की सलाह देने में जहाँ तक मैं समझता हूँ अहिंसा अथवा शाकाहार का सिद्धांत भंग नहीं होता। शाकाहार का प्रचार दबाव से नहीं परंतु उदाहरण प्रस्तुत करके ही हो सकता है। दबाव तो शाकाहार और अहिंसा दोनों के विपरीत है। इसी तरह भाई-भाई की लड़ाई, धनवान बनने के लिए गरीबों का आर्थिक शोषण और स्त्रियों का दमन मांसाहार से ज्यादा बुरी चीजें हैं।

– गांधीजी

एक आदर्श गांव

कोल्हापुर के पास शेकेलवाड़ी गांव है। यहां केनरी मठ के प.पूज्य अद्रश्य काड सिद्धेश्वर स्वामीजी की प्रेरणा से एक आदर्श गांव बिना किसी भी सरकारी सहायता के निर्माण हुआ है।

1. पूरा गांव शाकाहारी है। 2. हर घर में टॉयलेट है। मल गोबर गैस टेंक में जाता है, जिससे गैस बनती है। 3. हर घर में गोबर गैस प्लांट है, बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया था, जो समय पर भरपाई करते हैं। 4. हर घर के आगे ड्रेनेज और सोखता गड्डे बनाये गए हैं, जिससे घर का पानी जमीन में उतर जाता है। पानी सड़क पर नहीं बहता। इससे स्वच्छता बनी रहती है। 5. गांव के जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, उसे सबने हटा लिया है और वहां स्कूल और बगीचा बनाया गया है। 6. पहले गांव के मंदिर में 800 से ज्यादा जानवर मुर्गी आदि की बलि दी जाती थी, स्वामीजी के कहने से यह बंद हो गया है। 7. गांव में कोई शराब या गुटखा की दुकान नहीं है, न ही उसकी बिक्री होती है। 8. स्टेट बैंक ने 1.25 करोड़ का लोन दिया था, जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो गई। गन्ने की आवक करीब दुगुनी हो गई है। लोन समय पर चुकाया जाता है। साल में दो फसल ले सकते हैं।

9. खुले में कोई शौच जाएगा तो उस पर 100 रुपये दंड होता है और उसके नाम का ढोल बजाकर गांव में जाहिर किया जाता है।

10. हर सप्ताह गांव में सफाई होती है और कचरा गांव के बाहर गड्डे में डाला जाता है। 11. हर घर के दरवाजे पर कितने मेंबर हैं, मां-बाप, पति-पत्नी, लड़का-लड़की, वह लिखा जाता है। 12. पंचायत का मकान सरकारी सहायता के बिना श्रमदान से बनाया गया है। 13. पंचायत में दाखिला, सर्टिफिकेट आदि कितने दिन में मिलेंगे, यह बोर्ड पर स्पष्ट लिखा जाता है। 14. स्वामी जी के कहने से अब देशी गायों की संख्या बढ़ने लगी है। 15. गांव में जो फसल की कटाई होती है, वह सब एक-दूसरे की मदद से काटते हैं। मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती।

16. गांव में पिछले दस साल से कोई कोर्ट केस नहीं है। गांव में एक समिति है, वह किसी भी समस्या को मिलकर हल करती है। 17. गांव में चुनाव होता है, पर गांव पार्टी पॉलिटिक्स से मुक्त है। 18. महिला संगठन ने बचत समूह बनाया है। इससे बचत होती है और जरूरत होने पर सदस्य को लोन देते हैं। 19. स्कूल में वृक्षारोपण हुआ है और एक-एक विद्यार्थी को एक-एक वृक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है। नौ साल में वृक्ष बड़े हो गए हैं। 20. यहां सेंद्रीय बीज बनाया गया है और पूरे गांव में प्राकृतिक खेती करने का संकल्प है। भविष्य में पूरे गांव में सोलर से बिजली बनाने का संकल्प भी है।

एक साधु क्या कर सकता है, यह यहां देखा जा सकता है। स्वामीजी तो साल में दो-तीन बार, वह भी दो-चार घंटे के लिए आते हैं, पर जो काम यहां हुआ है, उसमें स्वामीजी की प्रेरणा और आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है।

एक-एक गांव अगर एक-एक संन्यासी गोद ले तो सरकारी सहायता के बिना आदर्श ग्राम निर्माण हो सकता है। यह इस प्रयोग से सिद्ध हुआ है। – मैत्री से साभार

एमआरएससी में रासेयो स्थापना दिवस मनाया

इन्दौर। महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई ने 24 सितंबर को रासेयो का स्थापना दिवस मनाया। इस दिन कॉलेज कैम्पस में स्वच्छ भारत जागरूकता रैली और व्याख्यान का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ.आनंद निघोजकर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल रासेयो स्वयंसेवक 'हम होंगे कामयाब' गीत गाते हुए चल रहे थे। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के नारे भी लगाये। इस रैली में 150 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित थे। इसके बाद श्री अनुराग पाठक ने 'शुचिता से ध्यान साधना' विषय पर व्याख्यान दिया। श्री पाठक ने विद्यार्थियों को शारीरिक स्वच्छता की बारीकियों को समझाया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए आहार-विहार के नियमों का पालन करना जरूरी है। श्री पाठक ने विद्यार्थियों को अपने अनुभव भी बताये। डॉ. निघोजकर ने विद्यार्थियों को ध्यान कराया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ.पुष्पेंद्र दुबे ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर कॉम्पीटिशन आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारा। स्पर्धा में नयन सोनी प्रथम, नीलम कुशवाह द्वितीय रहीं। निर्णायक प्राचार्य डॉ.आनंद निघोजकर थे। इस अवसर पर डॉ.गीता सनेजा, डॉ.सुप्रिया बंडी, डॉ.गायत्री पलोड़, डॉ.संदीप कौर, छात्र अमनदीप सिंह सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे। संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ.पुष्पेंद्र दुबे ने किया।

प्रेरक कहानियाँ

लंबा सफर

शाह अशरफ अली बहुत बड़े मुस्लिम संत थे। एक बार वे रेलगाड़ी से सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे। सहारनपुर स्टेशन पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सामान को तुलवाकर ज्यादा वजनी होने पर उसका किराया अदा कर दें। वहीं पास में गाड़ी का गार्ड भी खड़ा था। वह बोला, सामान तुलवाने कि कोई जरूरत नहीं है। मैं तो साथ में ही चल रहा हूँ। वह गार्ड भी शाह अशरफ अली का अनुयायी था। शाह ने उससे पूछा, आप कहाँ तक जायेंगे। मुझे तो बरेली तक ही जाना है, लेकिन आप सामान की चिंता नहीं करें गार्ड बोला। लेकिन मुझे तो बहुत आगे तक जाना है शाह ने कहा। मैं दूसरे गार्ड से कह दूँगा। वह लखनऊ तक आपके साथ चला जाएगा। और उसके आगे? शाह ने पूछा। आपको तो सिर्फ लखनऊ तक ही जाना है न। वह भी आपके साथ लखनऊ तक ही जाएगा गार्ड बोला। नहीं बरखुरदार, मेरा सफर बहुत लंबा है शाह ने गंभीरता से कहा। तो क्या आप लखनऊ से भी आगे जायेंगे? अभी तो सिर्फ लखनऊ तक ही जा रहा हूँ, लेकिन जिदंगी का सफर तो बहुत लंबा है। वह तो खुदा के पास जाने पर ही खत्म होगा। वहां पर ज्यादा सामान का किराया नहीं देने के गुनाह से मुझे कौन बचायेगा? यह सुनकर गार्ड शर्मिंदा हो गया। शाह ने शिष्यों को ज्यादा वजनी सामान का किराया अदा करने को कहा, उसके बाद ही वह रेलगाड़ी में बैठे।

शांति दूत

पाउलो कोएलो से रूस की कात्या यूलिआंका ने पूछा, आप संयुक्त राष्ट्र के शांतिदूत हैं। विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपकी भूमिका क्या है ?

पाउलो कहते हैं – मैं हमेशा से ही उन लोगों को संशय की दृष्टि से देखता हूँ जो यह कहते फिरते हैं कि मैं दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूँ, मानवता की रक्षा करना चाहता हूँ, सबकी मदद करना चाहता हूँ, आदि–आदि। मुझे लगता है कि 'दुनिया को बचाना' बड़ा बेतुका वक्तव्य है। जो बात संभव है और जो सबसे कठिन है, वह यह है कि हम एक नजर खुद को देखें और यह समझने की कोशिश करें कि असल गड़बड़ कहाँ है। यहाँ–वहाँ की बातों में सर खपाने से पहले हमें खुद की ही पड़ताल करनी होगी। मैं खुद के बारे में कहूं तो मैं दुनिया नहीं बदल सकता, मैं अपना देश नहीं बदल सकता, मैं अपना नगर, यहाँ तक कि अपना मोहल्ला भी नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ अपने घर–आँगन को ही बदल सकता हूँ। 1996 में जब मुझे अपनी किताबों के लिए ठीकठाक रॉयल्टी मिलने लगी तो मैं अपने घर से कुछ दूर शहर के केंद्र में एक निचली बस्ती में गया और कुछ लोगों से मिला जो छोटे बच्चों की देखभाल का काम करते थे। मैंने उनके साथ मिलकर एक समाज सेवी इंस्टिट्यूट की स्थापना की. आज हम चार सौ से भी ज्यादा बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। इसके आलावा हम मानसिक रुग्यालयों में रोगियों की सहायता भी करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया में आनेवाले बड़े–बड़े बदलाव पहले–पहल बहुत छोटे पैमाने पर ही शुरू होते हैं। विश्व के बारह शांतिदूतों में से एक होने का अर्थ मेरे लिए यह है कि यह शांति और न्याय स्थापित करने की दिशा में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है. संयुक्त राष्ट्र ने मुझे ये अधिकार दिए हैं कि मैं राजनीतिक हलकों में अपने प्रभाव का उपयोग करके कुनीति और अन्याय के विरुद्ध विचारों को स्वर दे सकता हूँ। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खुद इस काम को अकेले नहीं कर सकता। मैं तो यह मानता हूँ कि हम सभी शांतिदूत हैं। चलिए, सब अपने–अपने काम में जुट जाएँ।

धन का बंटवारा

एक समय की बात है जब धर्मपुरी नगर के राजा सोमसेन शिकार खेलने के बाद अपने नगर को लोट रहे थे की जंगल के बिच में राजा अपने सेनिको से बिछड़ गए और जंगल में अकेले ही अपने नगर की तरफ चल पड़े। रास्ते में चलते समय उन्होंने एक आदमी को मुरली बजाते हुए अपने नगर की तरफ जाते हुए देखा तो राजा ने कुछ दूर के लिए उसका साथ ले लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे बातो ही बातो में राजा ने उस व्यक्ति को पूछा की वो कोन है और क्या काम करता है और केसे गुजारा चलता है।

उस आदमी ने कहा की में एक लकडहारा हूँ और लकड़ी काटने का काम करता हु और रोजाना चार रुपये कमाता हूँ और पहला रुपया तो कुए में फेंक देता हूँ दूसरे रुपये से कर्जा चुकता हूँ तीसरे रुपये को में उधार देता हूँ और चौथे रुपये को में जमीन में गाड़ देता हूँ। वो अपनी कहानी कह रहा था और राजा उसको इस बारे में पूछना ही चाहता था मगर तभी सैनिक राजा को ढूंढते–ढूंढते वह आ गये और फिर राजा उनके साथ चला गया। राजा ने दूसरे दिन अपने दरबार में सभी लोगो को उस लकडहारे की बात कही और पूछा की वो लकडहारा जो चार रुपये खर्च करता है उसको कैसे और कहा खर्च करता है जरा खुलासा पूर्वक बताओ लेकिन इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे सका। तो राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ और उस लकडहारे को दरबार में मेरे सामने उपस्थित करो। सिपाही ने लाकर के राजा के सामने लकड़हारे को पेश कर दिया। राजा ने उसको कल के उसके जवाब का खुलासा करने को कहा तो उस लकडहारे ने कहा कि पहला रूपया में कुएं में फेकता हूँ का मतलब ये है की में पहले रुपये से अपने परिवार का पालन करता हूँ। दूसरे रुपये से में कर्जा चुकता हूँ यानी कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं जिनके इलाज और खर्चे को पूरा करता हूँ और उनका जो उपकार है वो कर्जा मेरे ऊपर है उसको चुकाता हूँ, तीसरे रूपये को में उधार देता हूँ का मतलब ये है कि एक रुपये को में अपने बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्चा करता हूँ ताकि जब में बूढ़ा हो जाऊ तो वो उधार दिया हुआ मेरे को काम आ सके। और चौथे रुपये को मै जमीन में गाड़ देता हूँ इसका मतलब ये हुआ की चौथा रूपया में धर्म ध्यान दान दक्षिणा और लोगो की सेवा में खर्चा करता हूँ। ये तब मेरे काम आएगा जब मैं इस दुनिया से विदा होऊँगा। राजा और सभी दरबारियों ने लकडहारे की बाते सुनी और सराहना की राजा ने उस लकड़हारे को सम्मान दिया और काफी धन देकर के इज्जत से वापस विदा किया।

रजि. MPHIN/2003/11246
Postal Reg. MP/ICD/1106/2015-17
गोविभा
20 अक्टूबर, 2015

गोहत्या और गोमांस बिक्री पर रोक लगाने पर विचार करे केंद्र : कोर्ट

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गोमांस बिक्री पर रोक के लिए एक महत्वपूर्ण फेसला करते हुए केंद्र सरकार को गोहत्या पर रोक के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही अगले तीन महीने में देशभर में गोमांस और इससे बने उत्पादों की बिक्री, आयात और निर्यात पर पूरी पाबंदी लगाने पर भी विचार करने को कहा।

करीब 36 पेज के इस अहम फेसले में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश ठाकुर के खंडपीठ ने कहा है कि भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता मुख्य बिंदु है। लोगों को एक–दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। समाज में एकात्मता की भावना होनी चाहिए। इस तरह के झगड़े–फसादों के चलते लोकतंत्र की मूल धारणा को चोट पहुंचेगी और एक–दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ जाएगा।

खंडपीठ ने लिखा है – हांलाकि केंद्र सरकार को गोहत्या पर पाबंदी लगाने और हत्या के मकसद से गाय–बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं के आयात–निर्यात पर रोक लगाने संबंधी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में संविधान की धारा 48, 48 ए और 51 ए जी के मद्देनजर केंद्र सरकार को ऐसा कानून लागू करने पर विचार करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके तहत गोहत्या, गाय के आयात–निर्यात, गोमांस से बने सामान की बिक्री पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर खुद इस बाबत फेसला करके आज से लेकर अगले तीन महीने की अवधि में इस आदेश को लागू करे।

अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह हिमाचल सरकार को गोशाला बनाने और गायों को चारा उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी पैसा भी मुहैया करवाए।

हाई कोर्ट ने यह आदेश एक स्थानीय एनजीओ भारतीय गोवंश रक्षा संवर्धन परिषद की ओर से दायर याचिका पर दिया। अपने आदेश में खंडपीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और कुछ अन्य हाई कोर्टो के अहम फेसलों का जिक्र करते हुए कहा है कि इनमें भी कहा गया है कि धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान का मूल आधार है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता सभी को दी गई है।

अदालत ने हिमाचल के सभी जिला उपायुक्तों को कई निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें उन्हें कहा गया है कि वे गोहत्या, हत्या के उद्देश्य से गाय के निर्यात आदि पर रोक लगाने संबंधी 7 अक्टूबर 2014 को अदालत द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन संबंधी स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए अपने निजी शपथ पत्र भी पेश करें।

– जनसत्ता से साभार

खादी सभा में सरकार से मुक्त होने का संकल्प

महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में खादी मिशन के तत्वावधान में खादी सभा संपन्न हुई। खादी मिशन के संयोजक श्री बालभाई ने देशभर की खादी संस्थाओं से सरकार से मुक्त होने का आह्वान किया। उन्होंने अपने भावुक अभिभाषण में खादी संस्थाओं पर की जा रही ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि खादी के शताब्दी वर्ष में हमें शासन से मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए। इसके प्रथम चरण में 1 अप्रैल 2016 से खादी संस्थाएं बाजार अर्थ सहायता एमडीए लेना बंद करेंगी। जनता को खादी जगत की समस्याओं से अवगत कराने के लिए 2 अक्टूबर 2015 से 26 जनवरी 2016 तक प्रबोधन पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खादी जगत की समस्याओं के संबंध में अनेक पत्र लिखे गए, लेकिन उन्होंने एक का भी जवाब देना उचित नहीं समझा। वे बात तो खादी की करते हैं, परंतु कौनसी खादी को बढ़ाना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। आज खादी को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। खादी अपने आप में ब्रांड है। अब भारत सरकार खादी मार्का लेने के लिए बाध्य कर रही है। इसके विरोध में शीघ्र ही न्यायालय की शरण ली जाएगी। इसके साथ ही खादी भंडारों पर बिना मार्का की खादी बेचकर इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया जाएगा। खादी सभा में देशभर के लगभग 400 प्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन श्री रामदास शर्मा ने किया।

प्रकाशक :
नरेन्द्र दुबे, कार्याध्यक्ष, गोविज्ञान भारती
द्वारा मुंबई सर्वोदय मण्डल, 299, ताड़देव रोड, नानाचौक
मुंबई-400 007, फोन : (022) 23872061

डी-37, सुदामा नगर, इन्दौर-452 009
फोन : 0731–2489475, मो.: 97542 20781
www.govigyan.org ● e-mail : vinobaji1@gmail.com
prof.pushpendra@gmail.com

मुद्रण : श्रीकृति ग्राफिक्स, बी-133, सुदामानगर, इन्दौर
मो.: 98269 51703

आजीवन शुल्क : 1,000 ● वार्षिक शुल्क : ₹ 50 ● एक प्रति : ₹ 5

गोविभा
रजि. MPHIN/2003/11246
Postal Reg. MP/ICD/1106/2015-17

सेवा में,